

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2026 — ज्येष्ठ 12, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जून 2026

अधिसूचना संख्या:
01/2026-राज्य कर (दर)

F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (26). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर) क्रमांक F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (61) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 726 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची I - 2.5% में, —

(i) क्रम संख्या 150 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 21, 2202 99 29” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 151 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 31, 2202 99 39” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 20% में, —

(i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 91 00, 2202 99 91, 2202 99 99” प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 91, 2202 99 99” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जून 2026

F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (26). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION(26), दिनांक 01.06.2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 1st June 2026

NOTIFICATION
No.01/2026-State Tax (Rate)

F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (26) — In exercise of the powers conferred sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 09/2025–State Tax (Rate), No. F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (61), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 17th September, 2025, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 726, dated the 17th September, 2025, namely—

In the said notification, -

- (a) in Schedule I – 2.5%,
 - (i) against S. No. 150, for the entry in column (2), the entry “2202 99 21, 2202 99 29” shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 151, for the entry in column (2), the entry “22029931, 22029939” shall be substituted;
- (b) In Schedule III – 20%,
 - (i) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry “2202 91 00, 2202 99 91, 2202 99 99” shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 3, for the entry in column (2), the entry “2202 99 91, 2202 99 99” shall be substituted.

- 2. This notification shall come into force from 1st May, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIV KUMAR SINGH, Deputy Secretary.